<u>निर्णय दिनांक :– 27.07.2020</u>

वादी की और से श्री देवीलाल भाम्भू अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की और से श्री राजेश रोकणा अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 3 की और से राज पैरोकार आज दिनांक 27.07.2020 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत इकबालदावा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 उग्रसेन पुत्र श्योपतसिंह के नाम चक नम्बर 2 एम.ओ.डी.''ए'' खाता संख्या 8/61 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2.277 हैक्टर कृषि भूमि में वर्तमान प्रविष्ठि को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र वादी आदित्य सिहाग पुत्र उग्रसेन जाति जाट निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़ को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 27.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायककलेक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned with CamScanner